संख्या-008/वी.जी.एल/027
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 24.04.2008

परिपत्र सं-15/4/08

विषय: आयोग की सलाह पर पुनर्विचार हेतु आयोग को संदर्भ भेजने के संबंध में ।

आयोग ने अपनी सलाह पर पुनर्विचार हेतु बार-बार प्राप्त होने वाले अनुरोधों के बारे में गंभीर चिन्ता व्यक्त की है जिनसे यह प्रतीत होता है कि ये रूटीन में भेजे जा रहे हैं । सतर्कता मैनुअल, खंड-1 के अध्याय 1, पैरा 5.16 में दिए गए वर्तमान अनुदेशों में प्रावधान है कि जहां विभाग, आयोग द्वारा की गई सिफारिश की अपेक्षा नरम दृष्टिकोण अथवा कठोर दृष्टिकोण लेने का प्रस्ताव लेता है तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है । अत: ऐसे मामलों में विभागों को अंतिम निर्णय लेने से पहले आयोग से सलाह लेनी होती है । यह भी कहा गया है कि आयोग की सलाह पर पुनर्विचार के लिए संदर्भ केवल एक बार भेजना चाहिए । बाद में, दिनांक 6.3.2000 के पत्र सं-000/डी.एस.पी/1 द्वारा अनुदेश दिया गया था कि पुनर्विचार प्रस्तावों को आयोग की सलाह प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर भेजा जाना चाहिए । यह देखा गया है कि आयोग की सलाह पर पुनर्विचार के प्रस्तावों को अनुबंधित समय के भीतर नहीं भेजा जा रहा है । इसके अतिरिक्त, पुनर्विचार का औचित्य भी नहीं दिया जा रहा है ।

2. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इस मामले में अपने अनुदेशों की समीक्षा की है । आयोग की सलाह संगठनों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होती है तथा जहां पर आयोग ने संगठन द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण लिया है उसका कारण आयोग का, त्रुटियों की गंभीरता का बोध तथा अन्य कारण हैं । ऐसे मामलों में, पुनर्विचार की संभावना नहीं होती । अत: आयोग ने निर्णय लिया है कि आयोग की सलाह पर पुनर्विचार हेतु किसी प्रस्ताव पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि एक अधिकारी के विरूद्व अभिकथनों/आरोपों की गंभीरता में परिवर्तन किए जाने पर असर डालने वाले नए अतिरिक्त तथ्य प्रकाश में नहीं आते हैं । ऐसे नए तथ्यों को पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा सिद्व करना चाहिए तथा यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इन साक्ष्यों पर पहले विचार क्यों नहीं किया गया था जब आयोग की सलाह के लिए आयोग को निवेदन किया गया था । सलाह पर पुनर्विचार का प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो तो, यथाशीघ्र लेकिन आयोग की सलाह की प्राप्ति के दो माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए । ऐसा प्रस्ताव अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए अथवा यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि प्रस्ताव को अनुशासनिक प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. उपर्युक्त अनुदेशों का सख्ती से पालन करने हेतु नोट किया जाए ।

(विनीत माथुर)
उप सचिव

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी